झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची–834001

प्रेस विज्ञप्ति

विज्ञापन सं0–13/2017 (बी0आई0टी0 सिन्दरी में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति) के संबंध में आवश्यक सूचना।

विज्ञापन सं0–13/2017, बी0आई0टी सिन्दरी में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु पाँच संकायों–धातु, रसायनिक, खनन, सूचना तकनीकी एवं कम्प्यूटर विज्ञान अभियंत्रण में उम्मीदवारों के अंकों का निर्धारण विज्ञापन के आलोक में उनके Academic Records and Research Performance(30%) एवं Domain Knowledge(50%) के आधार पर किया जा चुका है। Academic Records and Research Performance(30%) एवं Domain Knowledge(50%) हेतु निर्धारित कुल 80% अंक के विरूद्ध विषयवार एवं अभ्यर्थीवार प्राप्तांक आयोग की website-www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त इन पाँचों संकायों में जिन अभ्यर्थियों का आवेदन कतिपय कारणों से अस्वीकार किया गया है उसकी सूची भी कारण सहित आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। विज्ञापन के आलोक में Domain Knowledge के मूल्यांकन का आधार Valid GATE Score के आधार पर ME/M.Tech के पाठ्यक्रम में प्रवेश है। यदि अभ्यर्थी के पास इस आधार पर Valid GATE Score है एवं इसे उन्होंने पूर्व में समर्पित नहीं किया था तो वे पुनः समर्पित कर सकते हैं। संबंधित अभ्यर्थी जन्मतिथि एवं निबंधन संख्या दर्ज कर अपना प्राप्तांक देख सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को ऐसा लगे कि उसे प्रकाशित अंक से अधिक अंक प्राप्त होना चाहिए तो वह अपना दावा संगत प्रमाण पत्रों/अंक पत्रों के साथ (single pdf file में) आयोग के email-apbit1317@jpsc.gov.in पर दिनांक–08.04.2021 तक भेज सकते हैं। इस तिथि के पश्चात् प्राप्त दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने mail में अपना नाम, branch, registration no. एवं स्पष्ट आपत्ति/दावा लिखना सुनिश्चित करेंगे। स्पष्ट आपत्ति/दावा नहीं होने की स्थिति में उनके द्वारा किए गए आपत्ति/दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. जिन अभ्यर्थियों के पास विज्ञापन की कंडिका–06 के column-Academic Record & Research Performance की कंडिका (d)-Research Publication/Seminar Presentation से संबंधित अभिलेख हैं एवं उन्होंने पूर्व में समर्पित नहीं किया है, वे इन्हें (single pdf file में) समर्पित कर सकते हैं। इन अभिलेखों की वैधता आवेदन करने की अंतिम तिथि–19.06.2017 तक मान्य होगी। इस तिथि के बाद संबंधित अभिलेख वैध नहीं माने जायेंगे।

ह0/–
सचिव
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।